



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938

No. 103]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/CHAITRA 1, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 फरवरी, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण)(सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016

फा.सं.आ.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/115/2016.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3, 3ए और धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय 1

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण)(सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016 कहलाएँगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 2 के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाता है:

"2 (1) परिभाषा" – इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "आवेदक" से बीमा व्यवसाय करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (20) में यथापरिभाषित कंपनी अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय अभिप्रेत है;

(घ) "प्रमाणपत्र" से इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "विदेशी निवेशक" से भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के नियम 2 (जी) में यथापरिभाषित "विदेशी निवेशक" अभिप्रेत हैं।

(च) "भारतीय निवेशक" से विदेशी निवेशकों को छोड़कर अन्य "निवेशक" अभिप्रेत हैं।

(छ) "भारतीय प्रवर्तक" से अभिप्रेत है

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित कंपनी, जो उस अधिनियम की धारा 2(87) में यथापरिभाषित सहायक संस्था न हो;

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धारा (सी) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी, परंतु भारत में कार्यरत विदेशी बैंक अथवा उसकी शाखा इसमें शामिल नहीं है;

(iii) समय-समय पर यथासंशोधित कोर निवेश कंपनियाँ (भारतीय रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 के अंतर्गत यथापरिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी);

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (72) में यथापरिभाषित सरकारी वित्तीय संस्था;

(v) फिलहाल प्रचलित किसी संगत कानून के अधीन पंजीकृत सहकारी सोसाइटी;

(vi) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन गठित सीमित देयता भागीदारी;

(vii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान किया जानेवाला कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था; जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) में निर्धारित किसी एक अथवा उससे अधिक शर्तों को पूरा करता हो।

(ज) "निवेशक" से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम 2 (एफ) में यथापरिभाषित "निवेशक" के आशय के अंतर्गत आनेवाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं।

(झ) "प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति" के अंतर्गत सभी पूर्णकालिक निदेशकों/ प्रबंध निदेशकों/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी से एक स्तर नीचे कार्यरत प्रमुखों, जिनमें मुख्य वित्तीय अधिकारी, नियुक्त बीमांकक, मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य जोखिम/ अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव शामिल हैं, सहित बीमाकर्ता/आवेदक की मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य सम्मिलित होंगे।

(ज) "प्रारंभिक व्यय" से आवेदक के निर्माण से संबंधित व्यय अभिप्रेत हैं। इनमें आवेदक के निर्माण के लिए किये गये विश्व, लेखांकन और शेयर निर्गम संबंधी व्यय तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले किये गये व्यय शामिल हैं।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये विनियमों

अथवा नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।"

अध्याय //

3. अध्याय // के लिए निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है

"बीमा व्यवसाय करने के लिए (i) भारतीय बीमा कंपनी; अथवा (ii) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय का पंजीकरण

3. पंजीकरण के लिए प्रक्रिया-

- (1) बीमा व्यवसाय करने के लिए इच्छुक आवेदक पंजीकरण के आवेदन फार्म आईआरडीएआई/आर1 हेतु माँग-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) विनियम 3(1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करनेवाले आवेदक से प्राधिकरण यह अपेक्षा कर सकता है कि वह पंजीकरण के आवेदन हेतु माँग-पत्र के निर्गम के लिए आवेदन पर विचार किये जाने के लिए संगत विषयों के संबंध में अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।
- (3) प्राधिकरण लिखित में कारण दर्ज करते हुए पंजीकरण आवेदन फार्म आईआरडीएआई/आर1 के लिए माँग-पत्र के निर्गम हेतु आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।
- (4) उप-विनियम (3) के अधीन प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सेक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल) को अपील कर सकता है।
- (5) प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण आवेदन के लिए जिस आवेदक का माँग-पत्र स्वीकार किया गया हो, वह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फार्म आईआरडीएआई/आर 2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4. बीमा व्यवसाय के वर्ग जिनके लिए पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है- (1) बीमा व्यवसाय के वर्ग जिनके लिए पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं :

- (i) जीवन बीमा व्यवसाय;
- (ii) साधारण बीमा व्यवसाय;
- (iii) केवल स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय;
- (iv) पुनर्बीमा व्यवसाय।

(2) आवेदक विनियम 3 के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र जीवन बीमा व्यवसाय अथवा साधारण बीमा व्यवसाय अथवा केवल स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए प्रस्तुत करेगा।

5. पंजीकरण हेतु माँग-पत्र की अपेक्षा करनेवाले आवेदक की अनर्हताएँ- (1) आवेदक निम्नलिखित परिस्थितियों में माँग-पत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा:

- I. जहाँ पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया हो या वापस लिया गया हो अथवा

- ii. जहाँ पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से वर्तमान उद्यम (वेंचर) के विदेशी निवेशकर्ता अथवा भारतीय प्रवर्तक बाहर आ गये हों; अथवा
- iii. जहाँ पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया हो अथवा आवेदक द्वारा वापस लिया गया हो; अथवा
- iv. जहाँ पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया हो; अथवा
- v. जहाँ आवेदक के नाम के अंतर्गत शब्द 'इंश्योरेंस' अथवा 'अश्योरेंस' निहित न हों।

(2) पंजीकरण के आवेदन के लिए प्रत्येक माँग-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे—

- i. जहाँ आवेदक एक कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित है वहाँ संस्था के बहिर्नियमों और संस्था के अंतर्नियमों की एक प्रमाणित प्रति; अथवा बीमा व्यवसाय करने के लिए सांविधिक निकाय का गठन करनेवाले संसद के अधिनियम की एक प्रमाणित प्रति;
 - ii. निदेशकों का नाम, पता और व्यवसाय;
 - iii. पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र दायर करने के वर्ष से पहले पिछले पाँच वर्षों के लिए भारतीय प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति;
 - iv. आवेदक के भारतीय प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों के बीच शेयरधारकों के करार की एक प्रमाणित प्रति;
 - v. 5 वर्ष के लिए व्यवसाय का पूर्वानुमान जो आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया हो।
- 6. अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण, आदि प्रस्तुत करना -** विनियम 3 के अधीन माँग-पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक से प्राधिकरण यह अपेक्षा कर सकता है कि वह पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र पर विचार करने के लिए संगत मामलों के संबंध में अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

7. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र पर विचार करना—

- (1) पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र पर विचार करते समय प्राधिकरण आवेदक द्वारा बीमा व्यवसाय किये जाने से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा।
- (2) विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

 - i. प्रत्येक भारतीय प्रवर्तक और विदेशी निवेशक कारोबार/ व्यवसाय के जिन क्षेत्रों में सक्रिय है, उनमें उसके व्यवहार और कार्यनिष्पादन का सामान्य पिछला (ट्रैक) रिकॉर्ड;
 - ii. भारतीय प्रवर्तकों, विदेशी निवेशकों और आवेदक के निदेशकों और प्रबंधन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार और कार्यनिष्पादन का रिकॉर्ड;
 - iii. आवेदक का पूँजी-विन्यास;
 - iv. ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले व्यक्तियों, असंगठित क्षेत्र अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों अथवा समाज के आर्थिक रूप से असुरक्षित या पिछड़े वर्गों और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणियों के

व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा अथवा साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की बाध्यता पूरी करने की क्षमता;

- v. साधारण बीमा कंपनियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में मोटर वाहनों के अन्य पक्ष जोखिमों में बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के लिए बाध्यता पूरी करने की क्षमता;
- vi. आवेदक की योजनाबद्ध वुनियादी संरचना;
- vii. बीमा व्यवसाय को प्रभावी ढंग से करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार स्थल की स्थापना सहित, पाँच अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रस्तावित व्यवसाय विस्तार योजना;
- viii. अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए अन्य संगत विषय।

(3) प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना से संतुष्ट होने और इस बात का सत्यापन करने पर कि—

क) फार्म आईआरडीएआई/आर1 में मॉग-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हैं और उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज उसके साथ प्रस्तुत किये गये हैं; तथा

ख) आवेदक विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में भारत के अंदर निवेशों के प्रबंधन सहित बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य करेगा;

मॉग-पत्र को स्वीकार कर सकता है और आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फार्म आईआरडीएआई/आर2 में आवेदन जारी कर सकता है।

8. पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए मॉग-पत्र को अस्वीकार करना।— (1) जहाँ विनियम 7 के अधीन अपेक्षाएँ पूरी नहीं की गई हैं, वहाँ प्राधिकरण आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा जिन कारणों से आवेदन को अस्वीकार किया गया हो उनका उल्लेख करते हुए लिखित में आवेदक को ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर सूचित किया जाएगा।

9. विनियम 8 के अधीन प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सेक्युरिटीज अपेलेट ट्रिब्युनल) को अपील प्रस्तुत कर सकता है।"

अध्याय III

4. अध्याय III के लिए निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है

"पंजीकरण के लिए आवेदन

10.(1) आवेदक, जिसका मॉग-पत्र स्वीकार किया गया हो, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फार्म आईआरडीएआई/आर2 में आवेदन कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किये जाएँगे—

- (क) यदि प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन जीवन बीमा व्यवसाय अथवा साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के लिए है, तो एक सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी होने का प्रमाण;
- (ख) यदि प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए है, तो दो सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी होने का प्रमाण;

- (ग) यह प्रमाणित करते हुए आवेदक के प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों द्वारा एक शपथपत्र कि अधिनियम की धारा 6(1) के दूसरे परंतुक की इस आशय की अपेक्षाएँ कि प्रारंभिक व्ययों को अलग करने के बाद कंपनी की प्रदत्त चुकता ईक्विटी पूँजी पर्याप्त है, पूरी की गई हैं;
- (घ) आवेदक की शेयर पूँजी के संबंध में प्रत्येक भारतीय प्रवर्तक और निवेशक को जारी किये गये शेयरों की सुस्पष्ट संख्या निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण;
- (ङ) यह प्रमाणित करते हुए आवेदक के भारतीय प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक द्वारा एक शपथ-पत्र कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (7ए) के उप-खंड (ख) में उल्लिखित विदेशी प्रदत्त ईक्विटी पूँजी की धारिता का परिकलन इन विनियमों के विनियम 11 के साथ पठित भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अनुसार है तथा आवेदक कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी के उनचास (49) प्रतिशत से अधिक नहीं है; वशर्ते कि यदि भारतीय प्रवर्तक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) है, तो ऐसे शपथ-पत्र पर नामित भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे;
- (च) यदि आवेदक के यहाँ विदेशी निवेश किया गया है, तो आवेदक के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारतीयप्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 एवं समय-समय पर यथासंशोधित रूप में "भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित" के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (7ए) के खंड (ख) के अनुसार कंपनी "भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित" है;
- (छ) जहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अनुसार एफआईपीबी द्वारा दिये गये अनुमोदन की प्रमाणित प्रतिलिपि;
- (ज) प्रकाशित विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस), यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रति;
- (झ) बीमाकर्ता के मानक फार्मों तथा बीमा पॉलिसियों के संबंध में प्रस्तावित की जानेवाली आश्वासित दरों, लाभों और शर्तों की प्रमाणित प्रति, जीवन बीमा व्यवसाय की स्थिति में किसी बीमांकक द्वारा दिये गये एक प्रमाणपत्र के साथ कि ऐसी दरें, लाभ, और शर्तें व्यवहार्य और युक्तियुक्त हैं;
- (ञ) भारतीय प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों, यदि कोई हों, अथवा समग्र रूप में प्रवर्तकों के बीच किये गये सहमति ज्ञापन अथवा प्रबंधन करार अथवा शेयरधारक करार अथवा मताधिकार करार अथवा किसी भी रूप में किये गये किसी अन्य करार की प्रमाणित प्रति, पक्षकारों के बीच विनिमय किये गये समर्थन/चुकौती आश्वासन पत्रों के विवरण सहित;
- (ट) पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में प्रमाण;
- (ठ) व्यवसायरत सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) अथवा व्यवसायरत कंपनी सचिव से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाणपत्र कि पंजीकरण शुल्क, ईक्विटी शेयर पूँजी से संबंधित सभी अपेक्षाएँ तथा अधिनियम की अन्य अपेक्षाएँ आवेदक द्वारा पूरी की गई हैं;
- (ड) पंजीकरण के लिए आवेदन पर कार्बवाई करते समय प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

11. विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ईक्सिटी पूँजी के परिकलन की पद्धति -

(1) अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए आवेदक कंपनी में एक अथवा उसके अधिक विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्सिटी शेयरों की धारिता का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा तथा वह निम्नलिखित का कुल योग होगा:-

- (i) आवेदक कंपनी में विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों सहित, विदेशी निवेशकों द्वारा धारित प्रदत्त ईक्सिटी शेयर पूँजी की मात्रा; और
- (ii) इस विनियम के उप-खंड (i) में उल्लिखित रूप में भारतीय प्रवर्तक (प्रवर्तकों) अथवा भारतीय निवेशक (निवेशकों) में ऐसे विदेशी निवेशक (निवेशकों) द्वारा स्वयं अथवा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से धारित अथवा नियंत्रित प्रदत्त ईक्सिटी शेयर पूँजी का अनुपात।

बशर्ते कि विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) के खंड (ii) और (iv) में उल्लिखित किसी भारतीय प्रवर्तक अथवा भारतीय निवेशक पर खंड (ii) लागू नहीं होगा।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता जिसे अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया हो, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिन के अंदर प्राधिकरण को प्रवर्तक की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक परिवर्तनों को निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा। तथापि, प्रवर्तकों की प्रदत्त पूँजी के 5% से अधिक किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को तत्काल दी जाएगी।

12. आवेदन पर विचार.—(1) प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करने के लिए आवेदक द्वारा बीमा व्यवसाय किये जाने से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा।

(2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना तथा अपनी शक्तियों पर किसी भी प्रकार से प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

- (क) बीमा उत्पादों का स्वरूप;
- (ख) आवेदक कंपनी के प्रबंधन के अंदर बीमांकिक, लेखांकन और अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञता का स्तर;
- (ग) आवेदक के अपने संगठन के अंदर निवेशों के प्रबंधन सहित, बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य करने के लिए आवेदक के संगठन की संरचना;
- (घ) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सभी अन्य संबंधित विषय।

13. पंजीकरण के लिए आवेदन का अस्वीकरण.—(1) जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है तथा विनियमों और फार्म आईआरडीएआई/आर2 में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, तथा विनियम 12 और 16 में उल्लिखित विषयों पर विचार करने के बाद इस बात से संतुष्ट होने पर कि प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करना वांछनीय नहीं है, प्राधिकरण एक आदेश के द्वारा आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश प्राधिकरण

द्वारा जिस आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया गया हो, वह कारण उसमें बताते हुए लिखित में ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर ऐसे निर्णय पर अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2सी) के अनुसार प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सेक्रेटरीज़ अपेलेट ट्रिब्युनल) को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

14. पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति का प्रभाव।— जिस आवेदक द्वारा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत किया गया हो, वह प्रमाणपत्र के लिए पात्र नहीं होगा।

15. पंजीकरण के लिए शुल्क के भुगतान की विधि।—पंजीकरण के लिए पाँच लाख रुपये का वापस न करने योग्य शुल्क भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को हैदराबाद में देय किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा किसी भी मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण द्वारा विप्रेषित किया जाएगा।

16. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना।—प्राधिकरण उपयुक्त समझी जाने वाली जाँच-पड़ताल करने के बाद तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि—

(क) आवेदक पात्र है तथा उसकी राय में यह संभावना है कि अधिनियम के अंतर्गत लागू किये गये दायित्वों को वह प्रभावी ढंग से पूरा करेगा;

(ख) प्रवर्तकों, विदेशी निवेशकों की वित्तीय स्थिति और आवेदक के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप सुदृढ़ है;

(ग) आवेदक को संभावित रूप में उपलब्ध होनेवाले व्यवसाय की मात्रा तथा उसका पूँजी-विन्यास और अर्जन की सभावनाएँ पर्याप्त होंगी;

(घ) यदि आवेदन में विनिर्दिष्ट बीमा व्यवसाय के वर्ग के संबंध में आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, तो जनसाधारण के हित पूरे होंगे; तथा

(ङ) आवेदक ने धाराओं 2सी, 5, 31ए और 32ए के उपबंधों का पालन किया है तथा उसने अपने लिए लागू इन धाराओं की सभी अपेक्षाएँ पूरी की हैं,

व्यवसाय के उस वर्ग के लिए बीमाकर्ता के रूप में आवेदक को पंजीकृत कर सकता है जिसके लिए आवेदक को उपयुक्त पाया गया है तथा आवेदक को फार्म आईआरडीएआई/आर3 में एक प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय ऐसी शर्तें लगा सकता है जो उपयुक्त समझी जाएँ। आवेदक उन शर्तों द्वारा आबद्ध होगा जिनके अधीन उसे फार्म आईआरडीएआई/आर3 में प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

17. आवेदक जिसे इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से 12 महीने के अंदर वह बीमा व्यवसाय प्रारंभ करेगा जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो।

बशर्ते कि यदि कंपनी 12 महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है, तो वह समय-सीमा की समाप्ति से पहले प्राधिकरण को उपयुक्त लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के द्वारा समय-वृद्धि की अपेक्षा कर सकती है।

18. प्राधिकरण विनियम 17 में उल्लिखित अनुरोध के प्राप्त होने पर उसकी जाँच करेगा तथा अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अथवा स्वीकार करते हुए अपना निर्णय लिखित में सूचित करेगा।

19. विनियम 16 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से 24 महीने के बाद प्राधिकरण द्वारा समय की कोई वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।"

अध्याय IV

5. अध्याय IV के लिए निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है

"वार्षिक शुल्क"

20. (1) वार्षिक शुल्क के भुगतान की विधि

(i) बीमाकर्ता जिसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक शुल्क प्राधिकरण को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के माह जनवरी के 31वें दिन से पहले अदा करेगा।

(ii) वार्षिक शुल्क निम्नलिखित से उच्चतर होगा

क. पाँच लाख रुपये, और

ख. जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान अपेक्षित है उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष लिखे गये कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग, अथवा दस करोड़ रुपये जो भी कम हो;

बशर्ते कि ऐसे बीमाकर्ता के मामले में जो एकमात्र पुनर्बीमा व्यवसाय करता हो, भारत में प्रत्यक्ष लिखे गये कुल सकल प्रीमियम के स्थान पर भारत में उसके द्वारा स्वीकार किये गये विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम को हिसाब में लिया जाएगा।

(2) यदि उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले बीमाकर्ता वार्षिक शुल्क अदा नहीं करता, तो प्राधिकरण निम्नलिखित अर्थ-दंड के तौर पर एक अतिरिक्त शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान स्वीकार कर सकता है

क. वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत, यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान के लिए नियत अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर किया जाता हो; अथवा

ख. वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत, यदि वार्षिक शुल्क विनियम 20(1)(i) में भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख की समाप्ति से 30 दिनों के बाद परंतु उस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अदा किया जाता हो जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान अपेक्षित है।

(3) जहाँ बीमाकर्ता ने वित्तीय वर्ष के अंत से पहले शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वहाँ अधिनियम की धारा 3ए(2) के साथ पठित धारा 3 के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण का प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है।

21. वार्षिक शुल्क की अदायगी की विधि – वार्षिक शुल्क भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में अदा किया जाएगा।

वार्षिक शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये हैंदराबाद में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा किसी भी मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण पद्धति से विप्रेषित किया जाएगा।

22. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डॉप्लिकेट) का निर्गम.—प्राधिकरण पाँच हजार रुपये का शुल्क प्राप्त करने पर बीमाकर्ता को प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डॉप्लिकेट) जारी कर सकता है, यदि बीमाकर्ता फार्म आईआरडीएआई/आर4 में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करे।"

अध्याय - V

6. अध्याय V के लिए निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है "चूक की स्थिति में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

23. प्रमाणपत्र का निलंबन।—अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाये जानेवाले किसी अर्थदंड अथवा की जानेवाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भारतीय बीमा कंपनी अथवा बीमाकर्ता का पंजीकरण बीमा व्यवसाय के किसी वर्ग अथवा वर्गों के लिए प्राधिकरण द्वारा आदेश से विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है ---

- I. यदि बीमाकर्ता किसी भी समय अपनी देयताओं की राशि की तुलना में अपनी आस्तियों के मूल्य के आधिक्य के संबंध में धारा 64वीए के उपबंधों का पालन नहीं करता,
- II. यदि बीमाकर्ता परिसमापन की स्थिति में है अथवा एक दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णीत है,
- III. यदि प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के व्यवसाय अथवा व्यवसाय के एक वर्ग का अंतरण किसी व्यक्ति को किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता को अंतरित किया गया है अथवा उसके व्यवसाय के साथ समामेलित किया गया है,
- IV. अधिनियम अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी नियम अथवा किसी विनियम, निर्देश अथवा आदेश की किसी अपेक्षा का पालन करने में चूक करता है, अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करता है, विशेष रूप से यदि बीमाकर्ता,
 - (क) अपना व्यवसाय पॉलिसीधारकों के हितों के विपरीत रूप में संचालित करता है;
 - (ख) अपने बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता;
 - (ग) अधिनियम के अधीन अथवा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता;
 - (घ) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी जाँच में सहयोग नहीं करता; अथवा
 - (ड) छलयोजना की प्रथाओं में लिप्त है;
 - (च) अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त है;
 - (छ) विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में बुनियादी संरचना अथवा सामाजिक क्षेत्र में निवेश नहीं करता।
- V. यदि प्राधिकरण के पास इस बात पर विश्वास करने के लिए पर्यास कारण हैं कि बीमा की किसी पॉलिसी के अंतर्गत भारत में बीमाकर्ता पर उत्पन्न होनेवाले किसी दावे का भुगतान नियमित न्यायालय में अंतिम निर्णय के बाद तीन महीने के लिए अदल्ल रहा है,
- VI. यदि बीमाकर्ता बीमा व्यवसाय अथवा किसी निर्धारित व्यवसाय को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करता है,
- VII. यदि बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश अथवा दिये गये किसी आदेश का पालन करने में चूक करता है,
- VIII. यदि बीमाकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013, अथवा साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी अपेक्षा का पालन करने में चूक करता है अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करता है;
- IX. यदि बीमाकर्ता धारा 3ए के अंतर्गत अपेक्षित वार्षिक शुल्क अदा नहीं करता, अथवा वशर्ते कि प्राधिकरण उपर्युक्त प्रकार की चूकों के दोहराये जाने की स्थिति में लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन का दंड लागू कर सकता है।

24. प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का आदेश देने की विधि—निलंबन अथवा निरसन का कोई आदेश तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाँच आयोजित नहीं की जाती।

25. निलंबन अथवा निरसन से पहले जाँच आयोजित करने की विधि—(1) विनियम 24 के अधीन जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

(2) जाँच अधिकारी बीमाकर्ता को एक नोटिस बीमाकर्ता के पंजीकृत कार्यालय अथवा व्यवसाय के प्रधान स्थान पर जारी करेगा।

(3) बीमाकर्ता ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर जाँच अधिकारी को दस्तावेजी अथवा अन्य साक्ष्य के साथ, जिस पर वह निर्भर हो अथवा बीमाकर्ता से प्राधिकरण द्वारा माँगा गया हो, उत्तर प्रस्तुत करेगा।

(4) जाँच अधिकारी बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर देगा ताकि वह उप-विनियम (3) के अंतर्गत दिये गये अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुतीकरण कर सके।

(5) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से कह सकता है कि वह मामला प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करे।

(6) जाँच अधिकारी के समक्ष बीमाकर्ता स्वयं उपस्थित होकर अथवा बीमाकर्ता द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से अपनी बात रख सकता है।

बशर्ते कि किसी अधिवक्ता (एडबोकेट) को जाँच में बीमाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ प्राधिकरण द्वारा उप-विनियम (5) के अधीन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया हो, वहाँ बीमाकर्ता के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अपना मामला एक अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करे।

(7) जाँच अधिकारी सभी संगत तथ्यों और बीमाकर्ता द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों को ध्यान में रखने के बाद प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और दिये जानेवाले दंड की सिफारिश करेगा तथा प्रस्तावित दंड का औचित्य भी प्रस्तुत करेगा।

26. कारण बताओ नोटिस और आदेश—(1) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस पर विचार करेगा तथा यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाएगा तो एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसके द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई बीमाकर्ता के विरुद्ध क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(2) बीमाकर्ता कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर प्रेषित करेगा।

(3) प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र परंतु उत्तर की प्राप्ति की तारीख से अधिक से अधिक तीस दिन के अंदर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझेगा। यदि नोटिस देने के बाद 90 दिन के अंदर बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो प्राधिकरण मामले में एकपक्षीय रूप में निर्णय करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन पारित आदेश में इसके लिए कारण भी उल्लिखित होंगे तथा उस आदेश के द्वारा लगाये गये दंड का औचित्य भी उसमें निहित होगा।

(5) प्राधिकरण उप-विनियम (3) के अधीन पारित किये गये आदेश की प्रति बीमाकर्ता को प्रेषित करेगा।

27. प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का प्रभाव—प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन की तारीख को और उस तारीख से बीमाकर्ता नया बीमा व्यवसाय करना बंद करेगा।

तथापि, प्राधिकरण बीमाकर्ता को मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए सर्विसिंग करना ऐसी अवधि के लिए जारी रखने के लिए निर्देश दे सकता है जो उप-विनियम 26(3) के अधीन दिये गये आदेश में विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

28. आदेश का प्रकाशन।—प्राधिकरण का विनियम 26 के उप-विनियम (3) के अधीन पारित आदेश उस क्षेत्र में जहाँ बीमाकर्ता के अपने व्यवसाय का प्रधान स्थान हो, कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।"

अध्याय VII

7. अध्याय VII के लिए, निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है

"वर्तमान बीमाकर्ताओं के लिए लागू उपबंध

29. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता एक भारतीय बीमा कंपनी होते हुए और जिसे भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, अधिनियम की धारा 2(7ए) में विनिर्दिष्ट रूप में "भारतीय स्वामित्व-प्राप्ति और नियंत्रित" का अनुपालन ऐसी अवधि के अंदर सुनिश्चित करेगा जैसी की इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) तथापि, प्राधिकरण विधिमान्य कारणों के लिए वर्तमान बीमाकर्ता द्वारा उसको प्रस्तुत किये गये आवेदन के आधार पर उपर्युक्त विनियम का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त समयावधि प्रदान कर सकता है, वर्तमान विनियम (1) का अनुपालन करने के लिए वर्तमान बीमाकर्ता द्वारा लिया गया कुल समय ऐसे दिशानिर्देशों/निर्देशों के निर्गम की तारीख से छह महीने से अधिक नहीं होगा।

30. सभी भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा इस आशय का वचन-पत्र कि विनियम 29(1) के अंतर्गत अपेक्षित रूप में "भारतीय स्वामित्व-प्राप्ति और नियंत्रित" का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, मुच्य कार्यकारी अधिकारी और मुच्य अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित रूप में, निदेशक बोर्ड की जिस बैठक में ऐसे अनुपालन की पुष्टि की गई हो, उस बैठक की तारीख से 45 दिन के अंदर दाखिल किया जाएगा।

31. प्रत्येक वचन-पत्र के साथ निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाएगा:

- (1) विनियम 29(1) के अनुपालन की पुष्टि करते हुए निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित प्रति
- (2) जहाँ लागू हो, वहाँ करार/संयुक्त उद्यम करार की प्रमाणित प्रति जहाँ अधिनियम की धारा 2(7ए) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उक्त करार/संयुक्त उद्यम करार में संशोधन किये गये हों।

32. अर्थनिर्णय: अध्यक्ष के पास इन विनियमों का अर्थनिर्णय करने के अधिकार होंगे।

अध्यक्ष का अर्थनिर्णय अंतिम तथा आवेदक और बीमाकर्ताओं पर वाध्यकारी होगा।"

8. फार्म आईआरडीए/ आर1 के लिए निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है

"फार्म आईआरडीएआई/आर1

[पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र]

[भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण)(सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016 का विनियम 3 देखें]

(यह फार्म भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कृपया आवेदन फार्म सावधानीपूर्वक भरें। यदि आवेदक के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो विशिष्ट रूप से अपने प्रश्न का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण को लिखें अथवा पहले से समय निर्धारित करने (प्रॉयर अपॉइंटमेंट) के अधीन हमसे स्वयं आकर मिलें)

1. आवेदक का नाम:

2. पता:

3. कंपनी के रूप में संस्थापन की तारीखः [दिन/माह/वर्ष]
4. पंजीकरण संख्या (कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त)
5. बीमा व्यवसाय के वे वर्ग लिखें जिनके लिए पंजीकरण अपेक्षित हैं:
6. प्राधिकृत पूँजी की राशि एवं शेयरों का अंकित मूल्य और उनकी संख्याएँ।
7. प्रदत्त पूँजी की राशि एवं ईक्रिटी शेयरों की संख्याएँ।
8. शेयरों का वर्गीकरणः
9. प्रत्येक वर्ग के शेयरधारकों के मताधिकारः
10. शेयरधारकों का विवरणः

(क) प्रवर्तक

[पूरा नाम, पता, बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अहंताएँ और अनुभव, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूँजी का प्रतिशत लिखें] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक और प्रवर्तकों की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक को धारित करने वाले व्यक्तियों का व्योरा अलग-अलग विवरणों में दिया जाए।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्मतिथि	पता टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	अहंताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	ईक्रिटी (मताधिकार) शेयरों की संख्या और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि प्रवर्तक भारत में पंजीकृत कंपनी अथवा निगमित निकाय है, तो कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें तथा स्तंभ 4 और 6 रिक्त छोड़ दें; पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय के लेखों का विवरण संलग्न करते हुए परिचालन के देश, व्यवसाय के स्वरूप को निर्दिष्ट करते हुए विवरण दिये जाएँ। यदि एक से अधिक प्रवर्तक हों तो सूचना इस प्रकार प्रस्तुत करें कि पक्षकारों का परस्पर संबंध, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जा सके। यदि प्रवर्तक किसी अन्य प्रवर्तक का नामिती है तो उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रधान प्रवर्तक का विवरण दिया जाए। पूरी और संपूर्ण जानकारी सत्यनिष्ठापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए। बाद में यदि कोई विवरण गलत पाया जाएगा, तो वह आवेदक, उसके प्रवर्तकों और उनसे संबद्ध अन्य व्यक्तियों की अनहंता का कारण बनेगा।

(ब) निवेशक

[पूरा नाम, पता, बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, कंपनी में धारित शेररों की संख्या और कंपनी में शेरर पूँजी का प्रतिशत लिखें।] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक और निवेशकों की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक को धारित करने वाले व्यक्तियों का ब्योरा अलग-अलग विवरणों में दिया जाए।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्मतिथि	पता टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	अर्हताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	ईक्विटी (मताधिकार) शेररों की संख्या और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि निवेशक भारत में पंजीकृत कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें तथा स्तंभ 4 और 6 रिक्त छोड़ दें; पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय के लेखों का विवरण संलग्न करते हुए परिचालन के देश, व्यवसाय के स्वरूप को निर्दिष्ट करते हुए विवरण दिये जाएँ। यदि एक से अधिक निवेशक हों तो सूचना इस प्रकार प्रस्तुत करें कि पक्षकारों का परस्पर संबंध, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जा सके। यदि एक निवेशक किसी अन्य निवेशक का नामिती है तो उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रधान निवेशक का विवरण दिया जाए। पूरी और संपूर्ण जानकारी सत्यनिष्ठापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए। बाद में यदि कोई विवरण गलत पाया जाएगा, तो वह आवेदक, उसके प्रवर्तकों और उनसे संबद्ध अन्य व्यक्तियों की अनर्हता का कारण बनेगा।

यदि कुल अपेक्षित पूँजी का निर्गम अभी तक नहीं किया गया है, तो यह सूचना प्रस्तुत करें कि शेररों में प्रत्याशित अभिदान क्या हैं तथा यह भी कि क्या संभावित शेररधारकों ने पूँजी में अभिदान करने के लिए कोई वचनबद्धता दर्शाई है अथवा आश्वासन दिया है।

यदि किसी भारतीय निवेशक की शेररधारिता किसी अन्य बीमाकर्ता के संबंध में है तो इसका अलग ब्योरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

11. आवेदक: इस खंड में पृष्ठभूमि संबंधी सूचना निर्दिष्ट की जानी चाहिए। निम्नलिखित सूचना सम्मिलित की जाएँ:

- संयुक्त उद्यम में भागीदारों का ब्योरा (उदा. कंपनी का नाम, पता, निदेशकों के नाम, आदि)।
- प्रवर्तक कंपनियों का गठन – प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक धारित करने वाले शेररधारकों का विवरण।
- कारोबार का स्वरूप, प्रवर्तक कंपनियों के व्यवसाय में वर्ष।

- निवेशकों का गठन – प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक धारित करनेवाले शेयरधारकों का विवरण।
- कारोबार का स्वरूप, निवेशकों की कंपनियों के व्यवसाय में वर्ष।
- प्रवर्तक/निवेशक कंपनियों के संबंध में विनियामक हस्तक्षेप/ प्रतिबंधात्मक निदेशों का पिछला रिकॉर्ड।
- बीमा बाजार में आवेदक के प्रवेश करने के लिए कारण।
- पिछले पाँच वर्षों के लिए वित्तीय विवरण।
- भागीदारों की क्षमता।
- आवेदक द्वारा प्रदर्शित भारतीय बाजार स्थल के प्रति प्रतिबद्धता की मात्रा का निर्देशन।
- कंपनी का प्रवर्तन करनेवाले शेयरधारकों के बीच करार।
- विदेशी निवेशकों द्वारा लिये गये दायित्व।
- विदेशी निवेशकों के प्रति आवेदक कंपनी के दायित्व।
- प्रारंभिक और भावी पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्रोत।
- गैर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकों/निवेशकों के मामलों में उपर्युक्त तरीके से, उपर्युक्त रूप में आशोधित तौर पर सूचना दी जाए।

प्रवर्तक (भारतीय प्रवर्तकों और विदेशी प्रवर्तकों, यदि कोई हों, के लिए अलग-अलग विवरण दिये जाएँ)

प्रवर्तकों और निवेशकों का विवरण: [पूरा नाम, पता, प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, कंपनी में धारित शेयर पूँजी की संख्या और उसका प्रतिशत लिखें।]

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्मतिथि	पता टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	अर्हताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	ईक्विटी (मताधिकार) शेयरों की संख्या और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

यदि विदेशी निवेशक भारत में अथवा विदेश में पंजीकृत कंपनी अथवा निगमित निकाय है, तो कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें तथा स्तंभ 4 और 6 रिक्त छोड़ दें। ऐसे विदेशी निवेशकों द्वारा नामित व्यक्तियों का विवरण ऊपर के प्रोफार्मा में दें; तथा परिचालन के देश और कारोबार का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) के लेखों के विवरण भी संलग्न किये जाने चाहिए।

12. आवेदक कंपनी

इस खंड में कंपनी के मुख्य पहलू उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इसमें निम्नलिखित सूचना समाविष्ट की जाएगी:

- आवेदक कंपनी का नाम:
- पंजीकरण की तारीख [दिन/माह/वर्ष]

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार)
- पंजीकरण संख्या:
- पंजीकृत कार्यालय का पता:
- प्रधान कार्यालय का पता:
- पत्रादि के लिए पता (कंपनी सचिव का नाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और इस प्रकार का अन्य विवरण दें):
- भारतीय प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों के मुख्य पहलू (उदा. संबंधित शेयरधारिताएँ, भूमिकाएँ और दायित्व, निदेशन, परस्पर संबंध आदि)।
- निदेशक बोर्ड का विवरण:
- परिचालन के राज्य।
- शाखाओं के स्थान। (प्रस्तावित)
- कंपनी के मिशन का विवरण।
- वरिष्ठ प्रबंधन (प्रमुख व्यक्ति) और दायित्वों का आवंटन। (प्रस्तावित)
- संगठनात्मक संरचना। रिपोर्टिंग संबंध:
- प्रधान कार्यालय और परिचालन यूनिटों के बीच दायित्वों का आवंटन:

[पंजीकृत कंपनी के संबंध में संस्था के बहिर्नियमों और संस्था के अंतर्नियमों की चार प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें]

13. पूँजी विन्यास

1. प्राधिकृत पूँजी की राशि और शेरों की संख्या:
2. शेरों का वर्गीकरण:
3. निर्गत पूँजी की राशि और शेरों की संख्या:
4. प्रदत्त पूँजी की राशि और शेरों की संख्या:
5. शेरों के प्रत्येक वर्ग के साथ संबद्ध मताधिकार:
6. प्रत्येक ईक्सिटी शेर/ अन्य शेर का

सांकेतिक (नॉमिनल)/अंकित (फेस) मूल्य:

14. निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों:

प्रत्येक निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों के लिए नीचे दिये गये प्रोफार्मा में विवरण प्रस्तुत करें :-

1. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों का नाम (और कोई पूर्ववर्ती नाम) :
2. वर्तमान आवासीय पता:
3. वर्तमान टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल पते:

4. जन्म की तारीख और स्थानः
5. राष्ट्रीयता (और कोई पिछली राष्ट्रीयता) :
6. पासपोर्ट/पहचान पत्रः
 - क. संख्या
 - ख. निर्गम की तारीख और स्थानः
 - ग. समाप्ति की तारीखः
 - घ. जारीकर्ता अधिकारीः
7. बैंक का नाम और पता:
8. शैक्षिक योग्यता का विवरण और दिनांकः
9. व्यावसायिक योग्यता का विवरण और दिनांकः
10. स्थिति (दायित्वों सहित) का विवरण और प्रारंभ की प्रस्तावित तारीखः
11. अनुभवः
 - (पिछले 5 वर्षों को शामिल करते हुए)
12. (क) पिछले रोजगार (पिछले 5 वर्षों में) का विवरण,
 - (ख) यदि पिछला नियोजक किसी विनियामक निकाय द्वारा विनियमित था, तो:
 - i. पिछले नियोजक का नामः
 - ii. नियोजक के व्यवसाय का स्वरूपः
 - iii. नियोजक का पर्यवेक्षण करनेवाले विनियामक निकाय का नामः
 - iv. पिछला पदनाम (कर्तव्यों और दायित्वों सहित) :
 - v. नियुक्ति की तारीखः
 - vi. त्यागपत्र की तारीखः
13. किसी अन्य संस्था में 2% से अधिक ईक्विटी शेयरों की धारिता अथवा निदेशन के रूप में पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के अन्य व्यावसायिक हितों का विवरणः
14. बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता के संबंधित पक्षकारों के साथ प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति का संबंध, यदि कोई होः-
 - क. बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता के संबंधित पक्षकारों में 2% से अधिक शेयरधारिता अथवा मताधिकारों का विवरणः
 - ख. बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता के संबंधित पक्षकारों के साथ किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरणः
 - ग. निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों के भूतपूर्व नियोजकों एवं बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता के संबंधित पक्षकारों के बीच किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरणः
15. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और आचरण का पूरा विवरणः
 - क. क्या प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति को कभी दिवालिया घोषित किया गया है;
 - ख. धोखाधड़ी अथवा अन्य बेर्इमानी से संबद्ध किसी अपराध की कोई दोषसिद्धि का विवरण;

ग. किसी कंपनी में निदेशक/ प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य करने

से कोई अनहता;

- घ. क्या पिछले पाँच वर्षों में निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति को कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस अथवा प्राधिकार देने से कभी अस्वीकार किया गया है (अथवा उसका प्रतिसंहरण किया गया है);
16. किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा प्रारंभ की गई किसी निंदा अथवा अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण;
17. पिछले नियोजक द्वारा पद या रोजगार से किसी बखास्तगी, अनुशासनिक कार्यवाही की अधीनता अथवा किसी व्यवसाय या पेशे में प्रवेश से अस्वीकृति का विवरण;
18. यदि प्रबंधन के किसी प्रमुख व्यक्ति को नैतिक भ्रष्टता से संबद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो उसका विवरण;
19. क्या किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने कभी ऐसे किसी नियोजक, कंपनी अथवा संस्था की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहा हो;
20. क्या ऐसी किसी कंपनी अथवा संस्था, जिसके साथ प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक, के रूप में संबद्ध रहा हो, का कभी उस अवधि के दौरान जब प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति उसके साथ संबद्ध रहा था अथवा प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति की उसके साथ संबद्धता के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर समापन किया गया है, कभी वह रिसीवरशिप के अधीन गई है अथवा उसने व्यापार करना बंद कर दिया है;
21. कृपया उल्लेख करें कि क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति; एक बीमा कॉर्पोरेट एजेंट, बीमा दलाल का कर्मचारी, भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य बीमा मध्यवर्ती या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता का निदेशक अथवा कर्मचारी, अथवा भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक भी है;
22. क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति बीमाकर्ता के पूर्णकालिक रोजगार में है? यदि नहीं, तो अन्य रोजगार/ नियुक्ति का पूरा विवरण दें।
23. क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति किसी अन्य संस्था से प्रतिनियुक्ति/अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति (सेकंडमेंट) पर है? यदि हाँ, तो
- (क) मूल संस्था का पूरा विवरण प्रस्तुत करें :
- (ख) क्या मूल संस्था द्वारा किसी पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है। यदि हाँ तो पारिश्रमिक का पूरा विवरण प्रस्तुत करें।
24. क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति किसी समूह कंपनी/ सहायक कंपनी अथवा बीमाकर्ता के प्रवर्तक भागीदार के पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में है?

टिप्पणी वाले स्तंभ में उल्लेख करें कि क्या कोई निदेशक अथवा प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति भारत में अथवा किसी विदेश में किसी अन्य बीमा कंपनी (अथवा पुनर्बीमाकर्ता) का एजेंट, दलाल, मध्यवर्ती, निदेशक अथवा कर्मचारी है अथवा भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक है।

15. बाह्य लेखा-परीक्षक^{*}: (प्रस्तावित)

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्मतिथि	पता टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	नियुक्ति की तारीख	बीमा कंपनियों की लेखा- परीक्षा में अनुभव	नियुक्ति की अवधि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

यदि लेखा-परीक्षक एक फर्म हैं, तो स्तंभ (1) में फर्म का नाम और स्तंभ (2) में पंजीकरण की तारीख लिखें।

*किसी लेखा-परीक्षक की नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती, जब तक लेखा-परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 में बताये गये मानदंडों को पूरा नहीं करता।

टिप्पणी: बाह्य सांविधिक लेखा-परीक्षकों का चयन करने में आवेदक आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 और विशेष रूप से लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विनियमों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।

16. किया जानेवाला व्यवसाय:

किये जानेवाले बीमा व्यवसाय का विवरण दें।

17. देश में आप बीमा व्यवसाय कहाँ करना चाहते हैं? (बाँक्सों में टिक लगाएँ)

(क) क्षेत्र: उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य

(ख) महानगर: मुंबई चेन्नै दिल्ली कोलकाता

(ग) संकेन्द्रण: ग्रामीण शहरी दोनों ग्रामीण व शहरी

18. वितरण माध्यम: प्रत्यक्ष संबद्ध एजेंट दलाल

कॉर्पोरेट एजेंट ऑनलाइन विक्रय अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

19. वित्तीय पूर्वानुमान (जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा – पंजीकरण के लिए आवेदित वर्ग के आधार पर)

प्रारंभ से लेकर प्रत्येक वर्ष हेतु, 5 वर्ष की अवधि के लिए, अनुमानों के आधार पर, वित्तीय पूर्वानुमानों के लिए प्रयुक्त मॉडल का वर्णन। इनके अंतर्गत निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए:

- विक्रय बल का आकार।
- विक्रय का परिमाण।

- विक्रय सहायता और प्रशासनिक स्टाफ का आकार।
- प्रीमियम आय (टिकट आकार और खंड)
- निवेश आय।
- कमीशन और अन्य विक्रय संबंधी व्यय।
- प्रशासन के व्यय।
- आय कर और अन्य कर।
- सांविधिक आरक्षित निधियाँ।
- अपेक्षित शोध-क्षमता (सॉल्वेन्सी) मार्जिन।
- राजस्व लेखा, लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र।
- प्रथम वर्ष और नवीकरण व्यय अनुपात।
- पूँजीगत आवश्यकताएँ – भारतीय और विदेशी।
- लाभ-अलाभ अवधियाँ और पूँजी पर प्रतिलाभ।
- शेयरधारक लाभांशः भारतीय और विदेशी।
- पॉलिसीधारक अधिशेष और बोनस की घोषणाएँ।

इस खंड में उस तरीके पर भी चर्चा की जानी चाहिए जिससे भावी पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी की जाएँगी।

20. संवेदनशीलता विश्लेषण

ऊपर पैरा 19 में निर्धारित विश्लेषण एक आधारभूत परिदृश्य और कुछ वैकल्पिक परिदृश्यों पर आधारित होगा। "आशावादी" और "निराशावादी" अनुमानों पर आधारित संवेदनशीलता विश्लेषण भी शामिल किया जाना चाहिए। ये निम्नलिखित जैसे अनुमानों से संबंधित होंगे:

- विक्रय बल का आकार।
- विक्रय की मात्रा।
- विक्रय का औसत आकार।
- मृत्यु-दर/ अस्वस्थता-दर के स्तर, पॉलिसी की समाप्तियाँ (**जीवन**)
- प्रशासनिक व्यय (मुद्रास्फीति सहित) (**जीवन**)
- भावी निवेश स्थितियाँ (**जीवन**)

निराशावादी परिदृश्यों के परिणामों को जिस तरीके से संभाला जाएगा, उस पर चर्चा शामिल की जानी चाहिए।

21. ग्रामीण व्यवसाय (जीवन बीमा, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा के लिए)

विधान से यह अपेक्षित है कि नये व्यवसाय का एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र में किया जाना चाहिए। इस अपेक्षा को जिस तरीके से पूरा किया जाएगा उसका वर्णन किया जाना चाहिए। इस खंड के प्रयोजन के लिए, इस क्षेत्र को समाविष्ट करनेवाले संबंधित विनियम देखें।

22. असंगठित क्षेत्र और पिछड़े वर्गों से संबंधित दायित्व (जीवन बीमा, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा के लिए)

इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ता समाज के आर्थिक रूप से असुरक्षित वर्गों और पिछड़े वर्गों के जोखिमों को बीमा-रक्षा उपलब्ध कराने के लिए असंगठित क्षेत्र के संबंध में दायित्वों का निर्वाह करेंगे। इस खंड के प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र को समाविष्ट करनेवाले संबंधित विनियम देखें।

इन अपेक्षाओं को जिस तरीके से पूरा करना प्रस्तावित है, उसका विस्तार से वर्णन किया जाना चाहिए।

23. मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय के दायित्व: साधारण बीमा कंपनियाँ मोटर अन्य पक्ष के व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के लिए भी बाध्य हैं। इस प्रयोजन के लिए संबंधित विनियम देखें।

इन अपेक्षाओं को जिस तरीके से पूरा करने का प्रस्ताव है, उसका विस्तार से वर्णन किया जाना चाहिए।

24. पिछले आवेदन का विवरण: क्या आवेदक ने भारत में अथवा भारत से बाहर पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें।

25. निष्कर्ष: निष्कर्ष के तौर पर, इस रिपोर्ट में परिचालनों की व्यवहार्यता पर चर्चा की जानी चाहिए। कोई विशेष विषय और सरोकार हों तो उनको भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रमाणीकरण

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ कि आवेदक की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य सही हैं तथा पूर्वानुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

9. फार्म आईआरडीए/आर2 के लिए निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है

"फार्म आईआरडीएआई/आर2

पंजीकरण के लिए आवेदन

[भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016 का विनियम 10 देखें]

(यह फार्म भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कृपया आवेदन फार्म सावधानीपूर्वक भरें। यदि आवेदक के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो विशिष्ट रूप से अपने प्रश्न का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण को लिखें अथवा पहले से समय निर्धारित करने (प्रॉयर अपॉइंटमेंट) के अधीन हमसे स्वयं आकर मिलें।)

1. भौगोलिक विस्तार: कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति के नाम के साथ भारत में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, विदेश एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक कार्यालयों के पते दें। [यदि आवेदक ने निर्णय नहीं किया हो तो वह भारत में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, विदेश एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यालयों की प्रस्तावित संख्या और स्थान दे सकता है।]

2. बाजार अनुसंधान और विशेषण

कंपनी ने विक्रय संभाव्यता, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, लक्ष्य बाजार, उत्पाद संभाव्यता, आदि (विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा खंड में) का पता लगाने के लिए किसी प्रकार का बाजार विशेषण किया होगा। प्राप्त निष्कर्षों के साथ अनुसंधान का पूरा विवरण।

3. विक्रय किये जानेवाले उत्पाद

किये गये बाजार अनुसंधान और विशेषणों के आधार पर भागीदारों ने विपणन किये जानेवाले – वैयक्तिक अथवा सामूहिक बीमा उत्पादों के संबंध में निर्णय किया होगा। विवरण में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

- उत्पाद की विशेषताओं का वर्णन।
- लक्ष्य बाजार जहाँ उत्पादों का विक्रय किया जाएगा।
- जीवन/साधारण /स्वास्थ्य बीमा, संबद्ध/ असंबद्ध, स्वास्थ्य बीमा में उत्पादों के नामों का विशेष विवरण।

4. वितरण

इस खंड में यह विवरण दिया जाना चाहिए कि उत्पादों का वितरण कैसे किया जाएगा अथवा वितरण किये जाने का प्रस्ताव क्या होगा। इसमें निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाना चाहिए:

- प्रयुक्त किये जानेवाले वितरण के माध्यम, प्रत्येक माध्यम को दिये जानेवाले महत्व की संबंधित मात्रा संबंधी निर्देशन के साथ।
- बाजार स्थल में स्थापित किया जानेवाला वितरण नेटवर्क।
- किसी भी माध्यम द्वारा विक्रय किये जानेवाले उत्पादों से संबंधित कोई भी सीमाएँ।
- वितरण के प्रत्येक माध्यम को अदा किया जानेवाला पारिश्रमिक।

5. विक्रय संबंधन

विज्ञापन और विक्रय संबंधन के लिए प्रयुक्त किया जानेवाला दृष्टिकोण, उदा. प्रयुक्त किया जानेवाला मीडिया, बारंबारता, आदि। विक्रय संबंधी सामग्री, उत्पाद का विज्ञापन करनेवाला साहित्य, यदि कोई हो, उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

6. जोखिम-अंकन

इस खंड में प्रस्तावों के जोखिम-अंकन के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण; डॉक्टरी जाँच संबंधी रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों के लिए की गई व्यवस्था, आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।

जोखिम-अंकन में और विदेशी निवेशकों द्वारा जोखिम-अंकनकर्ताओं के प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई जानेवाली सहायता का स्वरूप भी बताएँ।

7. निवेश

प्रत्येक कंपनी जिन उत्पादों का विपणन करना चाहती है, उनके लिए उपयुक्त निवेश दर्शन भी उसने स्थापित किया होगा। इसका विवरण दिया जाना चाहिए। अन्य सूचना में निवेश कार्मिक, निवेश परिचालनों का स्थान, प्रयुक्त किये जानेवाले निवेश दलाल, आदि को शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा निवेश, मूल्यांकन, एक्सपोज़र – विवेकपूर्ण – प्रावधानीकरण के मानदंड – जीवन, गैर-जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ता के संबंध में जारी किये गये विनियमों को ध्यान में रखा जाए।

8. सूचना प्रौद्योगिकी

बीमा उद्योग बहुत कुछ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। निम्नलिखित के लिए पूरा विवरण दिया जाना चाहिए:

- विभिन्न क्षेत्र जहाँ कंप्यूटर प्रणालियाँ काम में लाई जाएँगी।
- क्या उक्त प्रणालियाँ तुरंत उपलब्ध रूप में खरीदी जाएँगी (कुछ अनुकूलन के साथ), स्थानीय तौर पर विकसित की जाएँगी अथवा विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में आयात की जाएँगी (कुछ अनुकूलन के साथ)।

- वह मात्रा जहाँ तक प्रणालियों का उपयोग पॉलिसीधारकों की सर्विसिंग के लिए किया जाएगा।
- प्रणालियों की परस्पर संबद्धता की मात्रा।
- एक विवरण कि अपेक्षित प्रबंध सूचना प्रणालियों को विकसित करने के लिए कैसे सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा।
- वह सीमा जहाँ तक क्रियाविधियाँ और परिचालन अयांत्रिक (मैनुअल) रहेंगे।

9. ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा प्रधान कार्यालय के माध्यम से केन्द्रीकृत रूप में अथवा शाखा कार्यालयों/परिचालन यूनिटों तक विकेन्द्रीकृत करते हुए उपलब्ध कराई जा सकती है। ग्राहक सेवा किस परिमाण तक शाखा कार्यालयों तक विकेन्द्रीकृत करने की योजना बनाई गई है, इसका विवरण दिया जाना चाहिए। ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं के लिए लागू किये जाने हेतु आयोजित सेवा मानकों का विस्तृत विवरण दिया जाए। "कॉल सेंटर" अथवा आवश्यकतानुरूप शिकायत निपटान व्यवस्था लागू करने की कोई भी योजना निर्दिष्ट की जाए। कंपनी द्वारा प्रदान की जानेवाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए समय अनुसूची का उल्लेख करें।

10. प्रतिधारण सीमाएँ और पुनर्वीमा

निम्नलिखित व्योरा देते हुए पुनर्वीमा व्यवस्था के स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया जाना चाहिए।

- पुनर्वीमाकर्ता (पुनर्वीमाकर्ताओं) का/ के नाम।
- पुनर्वीमा का आधार।
- पुनर्वीमा की शर्तें।

उस तरीके की चर्चा की जानी चाहिए जिसके अनुसार प्रतिधारण सीमा(एँ) स्थापित की गई हों।

11. भर्ती और प्रशिक्षण

कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कौशल के विभिन्न सेटों से युक्त कार्मिकों की आवश्यकता होती है। इन कार्मिकों में एजेंट, विक्रय पर्यवेक्षक, शाखा प्रबंधक, विभिन्न विभागों के लिए प्रशासनिक स्टाफ, आदि शामिल हैं। कुछ विभागों के लिए विशेष तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है (जैसे- जोखिम-अंकन, बीमांकिक, लेखांकन, बिन्नी, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि)। इस खंड में प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नलिखित सूचना निर्दिष्ट की जानी चाहिए:

- वांछनीय कौशल के सेट।
- भर्ती के लिए स्रोत।
- प्रशिक्षण – आंतरिक/बाह्यस्रोतीय के लिए प्रयुक्त किया जानेवाला दृष्टिकोण।

12. आंतरिक नियंत्रण

कंपनी के लिए विभिन्न कार्यकलापों हेतु प्रक्रियाओं और मानदंडों का सेट स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इनकी निगरानी करने की विधि का वर्णन किया जाना चाहिए। ये कार्यकलाप जोखिम-अंकन और पॉलिसी निर्गम, ग्राहक सेवा, निवेश, लेखांकन, नये उत्पादों का कीमत-निर्धारण, आरक्षित निधियों और अपेक्षित शोध-क्षमता (सॉल्वेन्सी) मार्जिनों की संगणना, विनियामक अनुपालन, दावा प्रसंस्करण और निपटान प्रक्रियाएँ, आदि से संबंधित होंगे।

13. प्रशासन के व्यय

जीवन:

प्रीमियम दरों की गणना करने में, नियुक्त बीमांकक के लिए प्रीमियम परिकलनों के अंतर्गत अनुमानित व्यय स्तर निर्मित करने की आवश्यकता होगी। उस विधि का वर्णन किया जाना चाहिए जिसमें प्रशासन के व्ययों का अनुमान किया गया हो और औसत कारकों के रूप में परिवर्तित किया गया हो। इन व्ययों के संबंध में प्रथम वर्ष और नवीकरण, नियत और परिवर्ती के बीच भेद दिखलाना होगा। सभी ऊपरी (ओवरहेड) व्ययों को भी समाविष्ट करना होगा।

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ता:

इसके अंतर्गत परिचालन कार्यालयों के स्तरों पर और पर्यवेक्षी कार्यालयों के प्रत्येक स्तर पर तथा प्रधान कार्यालय के स्तर पर प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित व्यय।

14. नये उत्पादों का कीमत-निर्धारण

जीवन:

वित्तीय पूर्वानुमानों में योजनाबद्ध उत्पादों का विक्रय समाविष्ट किया जाएगा। संभव सीमा तक इन उत्पादों का वर्णन दिया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

- उत्पाद की विशेषताएँ, जैसे बीमा-रक्षा की अवधियाँ, प्रीमियम के स्तर, गैर-समपहरण मूल्य, ऋण व्यवस्थाएँ, आदि।
- प्रयुक्त किये जानेवाले वितरण माध्यम।
- कमीशन के मान।
- पॉलिसी का औसत आकार।
- आरक्षित करने की प्रयुक्त पद्धति।
- संगणनाओं के अंतर्गत निर्मित विभिन्न मानदंडों के स्तर। ये मृत्यु-दर, पॉलिसी समाप्तियों, व्ययों, ब्याज और उत्पाद के लिए संगत होनेवाले किन्हीं अन्य मानदंडों से संबंधित होंगे। इन मानदंडों के मूल्यों को दो स्तरों पर विनिर्दिष्ट करना होगा — प्रत्याशित स्तर पर तथा प्रतिकूल विचलनों के लिए मार्जिनों से युक्त स्तर पर। दोनों स्तरों के लिए औचित्य दिया जाना चाहिए।
- उत्पादों के कीमत-निर्धारण में प्रयुक्त लाभप्रदता के मानदंड।

साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा:

प्रशुल्कों द्वारा नियंत्रित न किये जानेवाले उत्पादों के संबंध में यह निर्दिष्ट करें

कि उत्पादों का कीमत-निर्धारण कैसे किया जाएगा, प्रीमियम आधारों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले डेटाबेस तथा उन शर्तों और सांख्यिकीय प्रणाली का विवरण दें जिन्हें दरों की पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

पुनर्बीमा:

यह निर्दिष्ट करें कि उत्पादों का कीमत-निर्धारण कैसे किया जाएगा, प्रीमियम आधारों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले डेटाबेस तथा उन शर्तों और सांख्यिकीय प्रणाली का विवरण दें जिन्हें दरों की पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

15. सूचना नीति: जनसाधारण में बीमे से संबंधित जागरूकता के संबंध में कंपनी की नीति का उल्लेख करें।

16. प्रीमियम दरें: प्रस्तावित रिवेटों, यदि कोई हों, के साथ उत्पादों के लिए कंपनी की प्रीमियम सारणियाँ संलग्न करें।

प्रमाणीकरण

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ कि आवेदक कंपनी की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य सही हैं तथा पूर्वानुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित)"

10. फार्म आईआरडीए/ आर३ के लिए निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(प्राधिकरण की मुहर)
पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या: _____

प्रमाणित किया जाता है कि (बीमाकर्ता का नाम और पता) _____
को आज _____ वर्ग का व्यवसाय करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा
(2ए) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया है।
हैदराबाद में आज दिनांक _____ माह _____ दो हजार _____
को प्राधिकरण की मुहर के अधीन प्रदान किया गया।

हस्ताक्षर
(सक्षम प्राधिकारी)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण"

11. फार्म आईआरडीए/ आर४ के लिए निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाता है

"फार्म आईआरडीएआई/आर४

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम

बीमाकर्ता इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करेगा:

सेवा में,

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

हैदराबाद

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के निर्गम के लिए आवेदन

हम आपसे पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करने का अनुरोध करते हैं जिसके लिए हम इसके नीचे निम्नलिखित विवरण देते हैं :

1. बीमाकर्ता का नाम:
2. पंजीकरण संख्या:
3. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख:
4. मूल प्रमाणपत्र कैसे खो गया है, नष्ट किया गया है अथवा कटा-फटा है?
5. शुल्क के विप्रेषण का विवरण:

भवदीय

स्थान:

दिनांक:

प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

(प्रबंध निदेशक का नाम)

(मुहर)

टिप्पणियाँ :

1. जारी किये गये मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र के बदले में प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के निर्गम की अपेक्षा करनेवाले बोर्ड के संकल्प की मूल प्रति संलग्न करें।
2. प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय के स्थान पर देय भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम आहरित पाँच हजार रुपये का एक माँग-ड्राफ्ट (डीडी) संलग्न करें। यदि भुगतान इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है तो प्राधिकरण के खाते में निधियों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए साक्ष्य/रसीद संलग्न करें।"

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन |||/4/असाधारण/409]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 22nd February, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016

F. No. IRDAI/Reg/3/115/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 3, 3A and Section 114A of the Insurance Act, 1938 read with section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely:-

CHAPTER I

- 1. Short title and commencement.**—(1) These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016.
(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. For Regulation 2, the following clauses are substituted:**

“2 (1) Definitions.—In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “**Act**” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (b) “**Authority**” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (c) “**Applicant**” means a company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a statutory body established by an Act of Parliament to carry on insurance business;
- (d) “**Certificate**” means a Certificate of Registration granted by the Authority under these Regulations;
- (e) “**Foreign Investors**” means “foreign investors” as defined in rule 2 (g) of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.
- (f) “**Indian Investors**” means “Investors” other than foreign investors.
- (g) “**Indian promoter**” means
 - (i) a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), which is not a subsidiary as defined in section 2(87) of that Act;
 - (ii) a banking company as defined in sub section(c) of section 5 of the Banking Regulations Act, 1949 but does not include a foreign bank or branch thereof functioning in India;

- (iii) a core investment company (CIC) as defined under Core Investment Companies (Reserve Bank of India) Directions, 2011 as amended from time to time;
- (iv) a public financial institution as defined in section 2(72) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (v) a co-operative society registered under any relevant law for the time being in force;
- (vi) a limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);
- (vii) Any other person or entity as may be allowed by the Authority from time to time;
which meets one or more conditions in Section 2(69) of Companies Act, 2013.
- (h) “**Investors**” mean persons falling within the meaning of “Investor” as defined in regulation 2(f) of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015.
- (i) “**Key Management Person**” will include members of the core management team of an insurer / applicant including all whole-time directors/ Managing Directors/ Chief Executive Officer and the functional heads one level below the Managing Director /Chief Executive Officer, including the Chief Financial Officer, Appointed Actuary, Chief Investment Officer, Chief Risk/ Compliance Officer and the Company Secretary.
- (j) “**Preliminary Expenses**” means expenses relating to the formation of an applicant. These include legal, accounting and share issue expenses incurred for the formation of the applicant and expenses incurred prior to grant of Certificate of Registration.
- (2) All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938(4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or Rules or Regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.”

CHAPTER II

3. For Chapter II, the following provisions are substituted

“Registration of i) Indian Insurance Company; or ii) a statutory body established by an Act of Parliament to carry on insurance business

3. Procedure for registration-

- (1) An applicant desiring to carry on insurance business shall make an application to the Authority for issuance of requisition for registration application form IRDAI/R1.
- (2) The Authority may require the applicant, which makes an application under regulation 3 (1), to furnish further information or clarifications regarding the matters relevant to the consideration of the application for issuance of requisition for registration application.
- (3) The Authority, by recording the reasons in writing, may reject the application for issuance of requisition for registration application Form IRDAI/R1.
- (4) An applicant aggrieved by the decision of the Authority under sub-regulation (3) may, within a period of thirty days from the date of such communication, appeal to the Securities Appellate Tribunal.
- (5) An applicant, whose requisition for registration application has been accepted by the Authority, shall make an application in Form IRDAI/R2 for grant of certificate of registration.

4. Classes of insurance business for which requisition for registration application may be made.— (1) The classes of business of insurance for which requisition for registration application may be made are:

- (i) Life insurance business;
- (ii) General insurance business;
- (iii) Health insurance business exclusively;
- (iv) Reinsurance business.

(2) An applicant shall make a requisition for registration application under regulation 3 either for Life Insurance Business or General Insurance Business or Health Insurance Business exclusively or Reinsurance Business.

5. Disqualifications of Applicant for seeking Requisition for Registration.—(1) An applicant shall not be eligible to apply for the requisition in the following circumstances:

- i. Where the requisition for registration application has been rejected by the Authority or withdrawn; or
- ii. where the foreign investors or Indian Promoter of the existed venture have exited for any reason at any time during the preceding two financial years from the date of requisition for registration application; or

- iii. Where application for registration has been rejected by the Authority or withdrawn by the applicant for any reason at any time during the preceding two financial years from the date of requisition for registration application; or
 - iv. Where Certificate of Registration has been cancelled by the Authority; or
 - v. Where the name of the applicant does not contain the words ‘insurance’ or ‘assurance’.
- (2) Every requisition for registration application shall be accompanied by--
- i. a certified copy of the Memorandum of Association and Articles of Association, where the applicant is a company and incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or
a certified copy of the Act of Parliament setting up the statutory body to carry on insurance business;
 - ii. the name, address and the occupation of the directors;
 - iii. a certified copy of the annual report of Indian Promoters and the Foreign Investors for the last five years preceding the year of filing of requisition of registration application;
 - iv. a certified copy of the shareholders’ agreement between Indian Promoters and Foreign Investors of the applicant;
 - v. Projection of Business for 5 years duly approved by the Board of Directors of the applicant.
6. **Furnishing of further information and clarification, etc.**—The Authority may require the applicant, which makes a requisition under Regulation 3, to furnish further information or clarification regarding the matters relevant to consider the requisition for registration application.
7. **Consideration of requisition for registration application.**---
- (1) The Authority shall take into account all matters relating to carrying on of the business of insurance by the applicant while considering its requisition for registration application.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the Authority shall consider the following matters, namely:-
 - i. the general track record of conduct and performance of each of the Indian Promoters and Foreign Investors in the fields of business/profession they are engaged in;
 - ii. the record of conduct and performance of the directors and persons in management of the Indian Promoters, Foreign Investors and the applicant;
 - iii. the capital structure of the applicant ;
 - iv. the ability to meet the obligation to provide life insurance or general insurance or health insurance to the persons residing in the rural sector, workers in the unorganised sector or informal sector or for economically vulnerable or backward classes of the society and other categories of persons specified by the Authority;
 - v. the ability to meet the obligation to underwrite insurance business in third party risks of motor vehicles as specified by the Authority in respect of general insurance companies;
 - vi. the planned infrastructure of the applicant;
 - vii. the proposed business expansion plan for five succeeding years, including establishment of place of business in rural areas, to effectively carry out the insurance business; and
 - viii. other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.
 - (3) The Authority on being satisfied with the information submitted and on verification that-
 - a) the requisition in Form IRDAI/R1 is complete in all respects and is accompanied by all documents required therein; and
 - b) the applicant shall carry on all functions in respect of the insurance business including management of investments within India as may be specified;
 may accept the requisition and issue the application for registration in Form IRDAI/R2 for grant of certificate of registration to the applicant.
8. **Rejection of requisition for registration application.**—(1) Where the requirements under Regulation 7 are not complied with, the Authority may, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, reject the application.
- (2) The order rejecting the application under sub-regulation (1) shall be communicated by the Authority within thirty days of such rejection to the applicant in writing stating therein the grounds on which the application has been rejected.
9. An applicant aggrieved by the decision of the Authority under regulation 8 may appeal to the Securities Appellate Tribunal.”

CHAPTER III

4. For Chapter III, the following provisions are substituted

“Application for registration

10. (1) An applicant, whose requisition has been accepted, may make an application in Form IRDAI/R2 for grant of certificate of registration.

(2) Every such application shall be accompanied by---

- (a) evidence of having rupees one hundred crore or more paid up equity share capital, in case the application for grant of certificate is for life insurance business or general insurance business or health Insurance business;
- (b) evidence of having rupees two hundred crore or more paid up equity share capital, in case the application for grant of certificate is for re-insurance business;
- (c) an affidavit by the promoters and foreign investors of the applicant certifying that the requirements of the second proviso to section 6(1) of the Act to the effect that paid-up equity capital is adequate after excluding any preliminary expenses of the company have been satisfied;
- (d) a statement indicating the distinctive numbers of shares issued to each Indian promoter and Investors in respect of share capital of the applicant;
- (e) an affidavit by the managing director, chief executive officer or whole-time director of the Indian promoters and the foreign investors of the applicant certifying that the holding of foreign paid up equity capital, referred to in sub-clause (b) of clause (7A) of Section 2 of the Act, is calculated in accordance with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 read with Regulation 11 of these Regulations and does not exceed forty nine percent of the total paid-up equity capital of the applicant company;

Provided that in case of the Indian promoter being Limited Liability Partnership, such affidavit shall be signed by the Designated Partner.

- (f) In case of there being foreign investment in the applicant, an affidavit by the managing director, chief executive officer or whole-time directors and the Indian promoters and Foreign Investors of the applicant certifying that the company is “Indian owned and controlled” as per clause (b) of sub-section (7A) of the section 2 of the Act read with Indian Insurance Companies (foreign Investment) Rules, 2015 and Guidelines issued by the Authority on “Indian Owned and Controlled” as amended from time to time;
- (g) Where the foreign direct investment is more than 26 percent, a certified copy of the approval given by FIPB in accordance with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015;
- (h) a certified copy of the published prospectus, if any;
- (i) a certified copy of the standard forms of the insurer and statements of the assured rates, advantages, terms and conditions to be offered in connection with insurance policies together with a certificate by an actuary in case of life insurance business that such rates, advantages, terms and conditions are workable and sound;
- (j) a certified copy of the Memorandum of Understanding or Management Agreement or Shareholders Agreement or Voting Rights Agreements or any other agreements in whatsoever form entered into between the Indian promoters and the foreign investors, if any, or amongst the promoters as a whole including details of the support / comfort letters exchanged between the parties;
- (k) proof in support of payment of the non-refundable fee of rupees five lakh.
- (l) a certificate from a practising chartered accountant or a practising company secretary certifying that all the requirements relating to registration fees, equity share capital, and other requirements of the Act have been complied with by the applicant;
- (m) any other information required by the Authority during the processing of the application for registration.

11. Manner of calculation of equity capital held by foreign investors —

- (1) For the purposes of the Act and these Regulations, the calculation of the holding of equity shares by one or more Foreign Investors in the applicant company, shall be made as under and shall be aggregate of:-
- (i) the quantum of paid up equity share capital held by the Foreign Investors including foreign venture capital investors, in the applicant company; and
- (ii) the proportion of the paid up equity share capital held or controlled by such foreign investor(s) either by itself or through its subsidiary companies in the Indian promoter(s) or Indian Investor(s) as mentioned in sub-clause (i) of this Regulation:

Provided that clause (ii) shall not be applicable to an Indian promoter or Indian investors referred in clause (ii) and (iv) of clause (g) of sub-regulation (1) of Regulation 2.

- (2) Every insurer who has been granted registration under the Act shall, within 45 days of the end of every quarter, furnish to the Authority a statement indicating changes exceeding 1% of the paid up capital of the promoter. However, any change in excess of 5% of the paid up capital of the promoters shall be reported to the Authority immediately.

12. Consideration of Application.—(1) The Authority shall take into account for considering the grant of certificate, all matters relating to carrying on of the business of insurance by the applicant.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing and without in any manner affecting its powers, the Authority shall consider the following matters for grant of certificate to the applicant, namely:-
- (a) the nature of insurance products;
 - (b) the level of actuarial, accounting and other professional expertise within the management of the applicant company;
 - (c) the organisation structure of the applicant to carry on all functions in respect of the insurance business including management of the investments within its own organisation;
 - (d) all other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.

13. Rejection of application for registration.—(1) Where an application for registration is not complete in all respects and does not conform to the regulations or instructions specified in Form IRDAI/R2, and after considering the matters referred to in regulations 12 and 16 and on being satisfied that it is not desirable to grant a certificate by the Authority, the Authority by an Order, may reject the application.

- (2) The Order rejecting the application under sub-regulation (1) shall be communicated by the Authority within thirty days of such rejection to the applicant in writing stating therein the ground on which the application has been rejected.
- (3) An applicant aggrieved by the decision of the Authority under sub-regulation (2) may, within a period of thirty days from the date of such communication, appeal to the Securities Appellate Tribunal in accordance with sub-section (2C) of section 3 of the Act.

14. Effect of rejection of application for registration.—An applicant, whose application for registration has been rejected shall not be entitled to a certificate of registration.

15. Manner of payment of fee for registration.—The non-refundable fee of rupees five lakh for registration shall be remitted by a bank draft issued by any scheduled bank payable at Hyderabad or by any recognised electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India.

16. Grant of certificate of registration.— The Authority, after making such inquiry as it deems fit and on being satisfied that –

- (a) the applicant is eligible, and in its opinion, is likely to meet effectively its obligations imposed under the Act;
- (b) the financial condition of the promoters, foreign investors and the general character of the management of the applicant are sound;
- (c) the volume of business likely to be available to, and the capital structure and earning prospects of the applicant will be adequate;
- (d) the interests of the general public will be served if the certificate is granted to the applicant in respect of the class of insurance business specified in the application; and
- (e) the applicant has complied with the provisions of sections 2C, 5, 31A and 32A of the Act and has fulfilled all the requirements of these sections applicable to it.

may register the applicant as an insurer for the class of business for which the applicant is found suitable and grant the applicant the certificate in Form IRDAI/R3:

Provided that the Authority may impose such conditions as may be deemed fit at the time of grant of the Certificate of Registration. The applicant shall be bound by the conditions subject to which the certificate in Form IRDAI/R3 has been issued.

17. An applicant granted the Certificate of Registration under the Regulations shall commence insurance business for which it has been authorised within 12 months of the date grant of Certificate of Registration:

Provided that if the company feels that it will not be in a position to commence the insurance business within the specified period of 12 months, it can before the time limit expires, seek an extension, through a proper written application, to the Authority.

18. The Authority on receipt of the request referred to in Regulation 17 will examine it and communicate its decision in writing, either rejecting the request or granting it.
19. No extension of time shall be granted by the Authority beyond 24 months from the date of grant of Certificate of Registration under Regulation 16.”

CHAPTER IV

5. For Chapter IV, the following provisions are substituted

“Annual Fee

20. (1) Manner of payment of annual fee

- (i) An insurer who has been granted a Certificate of Registration under Section 3 of the Act shall pay, an annual fee for every financial year to the Authority before 31st day of January of the preceding financial year.
- (ii) The annual fee shall be higher of
 - a. five lakh rupees, and
 - b. one-twentieth of one per cent of total gross premium written direct by an insurer in India during the financial year preceding the year in which the annual fee is required to be paid, or rupees ten crore whichever is less:

Provided that in the case of an insurer carrying on solely re-insurance business, instead of the total gross premium written direct in India, the total premium in respect of facultative reinsurance accepted by it in India shall be taken into account.

- (2) If the insurer fails to deposit the annual fee before the date specified in sub-regulation (1), the Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee by way of penalty of
 - a. Two percent of the annual fee if the fee is paid within 30 days after the expiry of the last date of payment of annual fee; or
 - b. Ten percent of the annual fee if the fee is paid after 30 days from the expiry of the last date of payment stipulated in Regulation 20 (1) (i) but before the end of financial year in which the annual fee was required to be paid.
- (3) Where the insurer has failed to pay the fee before the end of the financial year, certificate of registration is liable to be cancelled in terms of provisions of Section 3 read with Section 3A (2) of the Act.

21. Manner of payment of annual fee - The annual fee shall be paid into the account of Insurance Regulatory and Development Authority of India.

The annual fee shall be remitted by a bank draft issued by any scheduled bank payable at Hyderabad or by any recognised electronic funds transfer mode.

22. Issue of duplicate certificate--The Authority may, on receipt of fee of rupees five thousand, issue a duplicate certificate to an insurer, if the insurer makes an application to the Authority in Form IRDAI/R4.”

CHAPTER – V

6. For Chapter V, the following provisions are substituted

“PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

23. Suspension of certificate.—Without prejudice to any penalty which may be imposed or any action taken under the provisions of the Act, the registration of an Indian insurance company or insurer may be suspended for a class or classes of insurance business for such period as may be specified by the Authority by an order under the following circumstances ---

- i. the insurer fails, at any time, to comply with the provisions of Section 64VA as to the excess of the value of its asset over the amount of its liabilities,
- ii. the insurer is in liquidation or is adjudged as an insolvent,
- iii. the business or a class of the business of the insurer has been transferred to any person or has been transferred to or amalgamated with the business of any other insurer without the approval of the Authority,
- iv. defaults in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Act or of any Rule or any Regulation, direction or Order issued by the Authority, particularly if the insurer,
 - a) conducts its business in a manner prejudicial to the interest of the policyholders;
 - b) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its insurance business;
 - c) does not submit periodical returns as required under the Act or by the Authority;

- d) does not cooperate in any inquiry conducted by the Authority;
- e) indulges in manipulative practices;
- f) indulges in unfair trade practices;
- g) fails to make investment in the infrastructure or social sector specified in the regulations.
- v. the Authority has reasons to believe that any claim upon the insurer arising in India under any policy of insurance remains unpaid for three months after final judgment in regular court of law,
- vi. the insurer carries on any business other than insurance business or any prescribed business,
- vii. the insurer defaults in complying with any direction issued or order made, as the case may be, by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999,
- viii. the insurer defaults in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Companies Act, 2013, or the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 or the Foreign Exchange Management Act, 1999 or the Prevention of Money Laundering Act, 2002;
- ix. the insurer fails to pay the annual fee required under section 3A, or
- x. the insurer is convicted for an offence under any law for the time being in force:

Provided that the Authority for reasons to be recorded in writing may, in case of repeated defaults of the type mentioned above, may impose a penalty of cancellation of Certificate of Registration.

24. **Manner of making order of suspension or cancellation of Certificate.**—No order of suspension or cancellation shall be imposed except after holding an enquiry in accordance with the procedure specified in these Regulations.
25. **Manner of holding enquiry before suspension or cancellation.**—(1) For the purpose of holding an enquiry under regulation 24, the Authority may appoint an enquiry officer.
 - (2) The enquiry officer shall issue a notice to the insurer at the registered office or the principal place of business of the insurer.
 - (3) The insurer may, within thirty days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply, together with copies of documentary or other evidence relied upon by it or sought by the Authority from the insurer.
 - (4) The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of being heard to the insurer to enable it to make submissions in support of its reply made under sub-regulation (3).
 - (5) If it is considered necessary, the enquiry officer may ask the Authority to appoint a presenting officer to present its case.
 - (6) The insurer may appear before the enquiry officer, either in person or through any person duly authorised by the insurer:

Provided that no advocate shall be permitted to represent the insurer at the enquiry:

Provided further that where an advocate has been appointed by the Authority as the presenting officer, under sub-regulation (5) it shall be lawful for the insurer to present its case through an advocate.
 - (7) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the insurer, submit a report to the Authority and recommend the penalty to be awarded as also the justification of the penalty proposed.
26. **Show-cause notice and order.**—(1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider the same and if considered necessary by it, issue a show-cause notice as to why an action, as it considers appropriate, should not be taken against the insurer.
 - (2) The insurer shall, within twenty-one days of the date of receipt of the show-cause notice, send a reply to the Authority.
 - (3) The Authority after considering the reply to the show-cause notice, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, pass such orders as it deems fit. If no reply is furnished to the Authority by the insurer within 90 days of the servicing of the notice, the Authority can proceed to decide the issue *ex parte*.
 - (4) An Order passed under sub-regulation (3) shall give reasons therefore including justification of the penalty imposed by that Order.
 - (5) The Authority shall send a copy of the Order made under sub-regulation (3) to the insurer.
27. **Effect of suspension or cancellation of Certificate.**—On and from the date of suspension or cancellation of the Certificate, the insurer shall cease to transact new insurance business:

However, the Authority may direct the insurer to continue to service the existing policyholders for such period as may be specified in the Order made under sub-regulation 26 (3).

28. **Publication of order.**---The Order of the Authority passed under sub-regulation (3) of regulation 26, shall be published in atleast two daily newspapers in the area where the insurer has its principal place of business.”

CHAPTER VII

7. For Chapter VII, the following provisions are substituted

“PROVISIONS APPLICABLE TO EXISTING INSURERS

29. (1) Every insurer being an Indian Insurance Company and who has already been granted Certificate of Registration for carrying on insurance business in India shall ensure compliance of “Indian owned and controlled” as specified in Section 2(7A) of the Act within such period as may be specified by the Authority in the Guidelines issued in this regard.
- (2) However, the Authority may, on an application made to it by an existing insurer, for valid reasons, grant a further period of time to comply with the above Regulation, provided that the total time taken by an existing insurer to comply with sub-regulation (1) above does not extend beyond six months from the date of issue of such Guidelines/directions.
30. An undertaking to the effect that compliance of “Indian owned and controlled” as required under regulation 29 (1) has been ensured shall be filed by all Indian Insurance Companies duly signed by the Chief Executive Officer and Chief Compliance Officer within 45 days from the date of meeting of the Board of Directors, wherewithal such compliance has been confirmed.
31. Every undertaking shall be accompanied by:
- (1) A certified copy of resolution passed by the Board of Directors confirming the compliance of regulation 29 (1)
 - (2) Where applicable, certified copy of the agreement / Joint venture Agreement where amendments to the agreement / joint venture agreement have been carried out to give effect to the provisions of Section 2(7A) of the Act.
32. **Interpretation:** The Chairperson shall have powers for interpretation of these Regulations. The interpretation of the Chairperson shall be final and binding on the applicant and insurers.”

8. For Form IRDA/ R1, the following provisions are substituted

“FORM IRDAI/R1

[REQUISITION FOR REGISTRATION APPLICATION]

[Please see regulation 3 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016]

(This form is supplied free of cost to the applicants by the Insurance Regulatory and Development Authority of India. Please fill in the application carefully. Should the applicant require any clarifications, please write to the Authority specifically mentioning the query or call on us personally subject to prior appointment)

1. Name of the applicant:
2. Address:
3. Date of incorporation as a Company: [DD/MM/YYYY]
4. Registration No. (issued by the Registrar of the Companies)
5. State the classes of insurance business for which registration is sought:
6. Amount of Authorised Capital & Face value of shares and their numbers:
7. Amount of Paid up Capital & Number of equity shares:
8. Classification of Shares:
9. Voting Rights of each class of Shareholders:
10. Details of shareholders:

a) Promoters

[Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the insurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the paid up capital of the applicant and promoters are to be given in separate statements.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupa-tion	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

Note: If the promoter is a company or a body corporate registered in India, give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. If there are more than one promoter, the information may kindly be furnished in such a manner as to indicate clearly the inter-relationship, if any, of parties. If a promoter is a nominee of another, details of the principal in the above areas are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant, its promoters and others connected thereto.

b) Investors

[Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the insurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the paid up capital of the applicant and investors are to be given in separate statements.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

Note: If the investor is a company or a body corporate registered in India , give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. If there are more than one investor, the information may kindly be furnished in such a manner as to indicate clearly the inter-relationship, if any, of parties. If an investor is a nominee of another, details of the principal Investor in the above areas are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant, its promoters and others connected thereto.

If the total required Capital has not yet been issued, please provide information on the expected subscription to shares and whether the potential shareholders have given any commitment or assurance to subscribe to the capital.

In case an Indian investor is having shareholding in any other insurers, separate detail of the same need to be provided.

11. Applicant: This section should set out the background information. Following information should be included:

- Particulars of the partners in the joint venture (e.g. company name, address, names of directors, etc.).
- Constitution of the promoter companies – details of shareholders holding in excess of 1% of the paid up capital.
- Nature of business, years in business of promoter companies.
- Constitution of the Investors – details of shareholders holding in excess of 1% of the paid up capital.
- Nature of business, years in business of investors' companies.

- Past record of regulatory interventions/restrictive directions in respect of promoter / investor companies.
- The applicant's reasons for entering the insurance market.
- Financial statements for the last five years.
- Strengths of the partners.
- Indication of the degree of commitment to the Indian market place displayed by the applicant.
- The Agreement among the shareholders promoting the company.
- The obligations undertaken by the Foreign Investors.
- The obligations of the applicant company to the Foreign Investors.
- Sources for meeting the initial and future capital needs.
- In cases of non-corporate promoters / investors, information on the above lines, suitably modified, may be given.

Promoters (Separate statements for Indian promoters and foreign investors, if any, are to be given)

Details of promoters and investors: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital, Occupation, Qualifications and Experience, Number and Percentage of share capital in the company]

Full Name [first,middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifica- tions	Experi- ence	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

If the foreign investor is a company or a body corporate registered in India or in a foreign country, give the name of the company or body corporate in column (1), furnish the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col. (5), leaving the columns 4 and 6 blank. The particulars of persons nominated by such foreign investors in the above *pro forma*; and particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years should also be provided.

12. The Applicant Company

This section should provide the key aspects of the Company. This will cover the following:

- Name of the applicant Company :
- Date of Registration : [DD/MM/YYYY]
(As per Companies Act, 2013)
- Registration Number:
- Registered Office Address:
- Head Office Address:
- Address for Communication (state the name of the Company Secretary, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details):
- Key aspects of the Indian Promoters and Foreign Investors (e.g. respective shareholdings, roles and responsibilities, directorships, inter-relationships etc) :
- Particulars of the Board of Directors:
- States of operation :
- Branch locations. (Proposed):
- Company's Mission Statement:

- Senior management (key persons) and allocation of responsibilities(Proposed):
- Organizational structure. Reporting relationships :
- Allocation of responsibilities between the head office and the operational units:

[Enclose four certified copies of Memorandum and Articles of Association of the registered company]

13. Capital structure

1. Amount of Authorised capital & No. of Shares:
2. Classification of Shares
3. Amount of Issued Capital & No. of Shares:
4. Amount of Paid up Capital & No. of Shares:
5. Voting Rights attached to each class of Shares
6. Nominal/Face value of Each Equity Share/ Other Share:

14. Directors and Key Management Persons:

For each director and key management persons, furnish the particulars in the pro forma given below:-

1. Name (and any previous names) of KMP:
2. Present Residential Address:
3. Current Telephone, Fax and E-mail Addresses:
4. Date and Place of Birth:
5. Nationality (and any previous Nationality):
6. Passport / Identity Card:
 - a. Number:
 - b. Date and Place of Issue:
 - c. Date of expiry:
 - d. Issuing Authority:
7. Name and Address of Bank:
8. Details and Dates of Academic Qualification:
9. Details and Dates of Professional Qualification:
10. Description of the position (including responsibilities) and proposed date of commencement:
11. Experience:

(covering preceding 5 years)
12. (a) Details of previous employment (in the last 5 years) :

(b) If previous employer was regulated by a regulatory body, then:

 - i. Name of the Previous Employer:
 - ii. Nature of Employer's business:
 - iii. Name of the Regulatory body supervising the Employer:
 - iv. Last Designation (including duties & responsibilities):
 - v. Date of Appointment:
 - vi. Date of Resignation:
13. Details of other business interests of the Key Management Person during the preceding 5 years in the form of holding equity shares in excess of 2% or Directorships in any other entity:
14. Relationship of KMP with the Insurer and related parties of insurer, if any:
 - a. Details of shareholdings or voting powers in excess of 2% in the Insurer and related parties of insurer:
 - b. Details of any Business relationships with the Insurer or related parties of insurer:

- c. Details of any Business relationships between the Directors' and key management persons' former employers and the insurer or related parties of insurer:
15. Full details on the Key Management Persons' reputation and character:-
- whether the KMP has ever been declared bankrupt;
 - details of convictions for any offence involving fraud or other dishonesty;
 - any disqualification from acting as a Director/ Key Management Person in any company;
 - whether the Director or key management person has ever been refused (or had been revoked) a licence or authorization to carry on any regulated financial business during the past five years.
16. Details of any censure or disciplinary action initiated by any Government, regulatory or professional body:
17. Details of any dismissal from office or employment, subjection to disciplinary proceedings by the previous employer or refusal of entry into any profession or occupation:
18. Details of conviction, if any of the Key Management Person for any offence involving moral turpitude:
19. Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organization with which the Key Management Person has been associated as a director, officer, manager or shareholder?
20. Whether any company or organization with which the Key Management Person was associated as a director, officer, manager, has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Key Management Person was associated with it; or within one year after the Key Management Person so ceased to be associated?
21. Please mention whether the Key Management Person is also an Insurance Corporate Agent, employee of Insurance Broker, Director or Employee of any other insurance intermediaries or Insurer or reinsurer in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.
22. Whether the Key Management Person is in the full time employment of the insurer? If not, then please give the full details of other employment/ engagement:
23. Whether the Key Management Person is on deputation / secondment from any other organization? If yes,
- furnish the full particulars of the Parent Organization;
 - whether any remuneration etc., is paid by the Parent Organization, if so complete details of the remuneration:
24. Whether the Key Management Person is into the full time / part time employment of any group company / associated company or the promoting partner of the insurer?

In the Remarks column, please mention whether any director or key management person is an agent, broker, intermediary, director or employee of any other insurance company (or reinsurer) in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.

15. External Auditors*:(Proposed)

Full Name [first,middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Date of Appointment	Experience in auditing insurance companies	Period of appointment	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

If auditors are a firm, state the name of the firm in Col (1), its date of registration in Col (2)

*No auditor can be appointed unless the auditor satisfies the criteria stated in Section 141 of the Companies Act, 2013

Note: In choosing external statutory auditors, the applicant may be guided by the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, and more particularly those dealing with appointment of auditors.

16. Business to be transacted:

Describe the insurance business to be transacted:

17. Where in the country do you wish to carry on insurance business? (*tick the boxes*)

- (a) Regions: : North South East West Central
- (b) Metropolitan cities: Mumbai Chennai Delhi Kolkata
- (c) Concentration: : Rural Urban Both Rural & Urban

18. Distribution Channels: Direct Tied Agents Brokers Corporate Agents Online Sale Others (Please specify)

19. Financial Projections (Life Insurance, General insurance, Health and Reinsurance – depending on the class applied for registration)

A description of the model used for financial projections should be provided, based on assumptions, for a period of 5 years, for each year from the start. These should set out the following:

- Size of sales force.
- Volume of sales.
- Size of sales support and administrative staff.
- Premium income (ticket size and segment)
- Investment income.
- Commissions and other sales related expenses.
- Expenses of administration.
- Income tax and other taxes.
- Statutory reserves.
- Required solvency margins.
- Revenue Account, Profit and loss accounts and Balance sheet.
- First year and renewal expense ratios.
- Capital needs : Indian and Foreign
- Break-even periods and the Return on Capital.
- Shareholder dividends: Indian and Foreign.
- Policyholder surpluses and bonus declarations

This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.

20. Sensitivity Analysis

The analysis set out in para 19 above will be based on a base scenario and a few alternate scenarios. Sensitivity analysis based on “Optimistic” and “Pessimistic” assumptions should also be included. These will relate to assumptions such as:

- Size of sales force.
- Volume of sales.
- Average size of sale.
- Levels of mortality/morbidity, policy terminations(*Life*)
- Administrative expenses (including inflation).(*Life*)
- Future investment conditions.(*Life*)

A discussion on the manner in which the outcome of the pessimistic scenarios will be handled should be included.

21. Rural Business (for life insurance, general insurance and health insurance)

Legislation requires that a specified percentage of the new business should be undertaken in the rural or social sector. The manner in which this requirement will be fulfilled should be described. For the purpose of this section, please see the relevant regulations covering this area.

22. Obligations in unorganized sector and backward classes(for life insurance, general insurance and health insurance)

In addition, insurers shall discharge obligations in respect of unorganized sector to cover risks of economically vulnerable sections of the society and backward classes. For the purpose of this section, please see the relevant regulations covering this area.

The manner in which these requirements are proposed to be met should be described in detail.

23. Obligations of Motor Third Party Business: General Insurance companies are also under obligation to underwrite business of Motor Third Party. For this purpose, please see the relevant regulations.

The manner in which these requirements are proposed to be met should be described in detail.

24. Particulars of Previous Application: Has the applicant ever applied for grant of Certificate of Registration in India or outside India? If so, give particulars.

25. Conclusion In conclusion, the report should discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated.

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place

Date:

Signature of the Authorised person

(with seal)"

9. For Form IRDA/ R2, the following provisions are substituted

**“FORM IRDAI/R2
APPLICATION FOR REGISTRATION**

[Please see regulation 10 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016]

(This form is supplied free of cost to the applicants by the Insurance Regulatory and Development Authority of India. Please fill in the application carefully. Should the applicant require any clarifications, please write to the Authority specifically mentioning the query or call on us personally subject to prior appointment)

1. Geographic Spread: Give the addresses of the administrative offices in each State and Union Territory in India, overseas, and also in Rural Areas with the name of person in charge of the office. [if the applicant has not decided, it may give the proposed number and locations of administrative offices in each State and Union Territory in India, overseas, and also in Rural Areas]

2. Market Research and Analysis

The company may have undertaken some form of market analysis to ascertain the market potential, consumer needs, target market, product potential, etc. (in particular health insurance segment). Full description of the research, along with the conclusions reached.

3. Products to be Sold

Based on the market research and analyses undertaken, the partners would have decided upon the products to be marketed -- individual or group insurance. The description should include the following:

- Description of the product features,
- The target markets where the products will be sold,
- Specification of the names of the products in life/general/ health insurance, linked/non-linked, health insurance.

4. Distribution

This section should describe how the products will be or are proposed to be distributed. This should cover the following:

- The channels of distribution to be used, with an indication on the relative degrees of importance placed on each of the channels.
- The distribution network that will be set up in the market place.
- Any limitations on the products to be sold by any of the channels.
- Remuneration to be paid to each channel of distribution.

5. Sales Promotion

The approach to be used for advertisement and sales promotion, e.g. the media to be used, frequency, etc. Copies of sales material, literature advertising the product, if any, should be provided.

6. Underwriting

This section should describe the approach used for underwriting of proposals; the arrangements made for medical and other reports, etc.

Please also state the nature of support to be provided in underwriting and in training of underwriters by the foreign investors.

7. Investments

Each company will have established its investment philosophy that will be appropriate for the products it intends to market. This should be described. Other information should include the investment personnel, location of the investment operations, investment brokers to be used, etc. Regulations regarding Investment, Valuation, Exposure –

Prudential – Provisioning Norms- Life, Non Life, Health and Reinsurer issued by the Authority may be taken into account.

8. Information Technology

Insurance industry is very much dependent on computer technology. Full description should be provided for the following:

- The different areas where computer systems will be employed.
- Whether the systems will be bought off the shelf (with some customization), developed locally or imported into India by the Foreign Investors (with some customization).
- The degree to which the systems will be used for policyholder servicing.
- The degree of interconnectivity of the systems.
- A description of how the I/T systems will be used to develop the required Management Information Systems.
- Extent of procedures and operations which will remain manual.

9. Customer Service

Customer service could be provided either centrally through the head office or decentralized to the branch offices/operational units. The degree to which customer service is planned to be decentralized to the branch offices should be described. The service standards planned to be introduced for the various aspects of customer service should be described. Any plan to introduce “call-centres” or customized grievance settlement machinery may be indicated. Mention the time schedule for various types of services offered by the Company.

10. Retention Limits and Reinsurance

The nature of reinsurance arrangements should be described fully, giving the following details:

- The name(s) of reinsurer(s).
- The basis of reinsurance.
- Terms of reinsurance.

The manner in which the retention limit(s) have been established should be discussed.

11. Recruitment and Training

Different areas of the company require personnel with different skill sets. These personnel will include agents, sales supervisors, branch managers, administrative staff for various departments, etc. Some of the departments will require special technical skills (e.g. underwriting, actuarial, accounting, sales, information technology, etc.). This section should set out the following information for each of the categories:

- Desirable skill sets.
- Sources for recruitment.
- Approach to be used for training—in house /outsource.

12. Internal Controls

The company will need to establish a set of procedures and norms for various activities. The manner in which these will be monitored should be described. These activities will relate to underwriting and policy issue, customer service, investments, accounting, new product pricing, computation of reserves and Required Solvency Margins, regulatory compliance, claim processing and settlement procedures, etc.

13. Expenses of Administration

Life:

In arriving at the premium rates, the Appointed Actuary will need to build the estimated expense levels into the premium calculations. The manner in which the expenses of administration have been estimated and converted into average factors should be described. These expenses will have to be distinguished between first year and renewal, fixed and variable. All overhead expenses will also have to be covered.

General, Health and Reinsurer:

The proposed expenses as a per cent of premium at levels of operational offices and each level of supervisory offices and head office.

14. New Product Pricing

Life:

The financial projections will incorporate the sale of planned products. A description of these products to the extent possible should be provided. This should include the following:

- The product features, such as coverage periods, premium levels, non-forfeiture values, loan provisions, etc.
- Distribution channels to be used.
- Commission scales.
- Average policy size.
- Reserving method used.
- The levels of the various parameters built into the computations. These will relate to mortality, policy terminations, expenses, interest and any other parameters that may be relevant for the product. The values of these parameters will have to be specified at two levels - at the Expected level and at a level inclusive of the Margins for Adverse Deviations. The justifications for both levels should be provided.
- Profitability criteria used in product pricing.

General Insurance and Health:

In respect of products not governed by tariffs, please indicate how the products will be priced, the data base which will be used to determine premium bases and the terms and conditions, the statistical system which will be established to review adequacy of rates.

Reinsurance:

Please indicate how the products will be priced, the data base which will be used to determine premium bases and the terms and conditions, the statistical system which will be established to review adequacy of rates.

15. Information Policy: Mention the Company's policy regarding insurance awareness in the public.

16. Premium Rates: Enclose the Company's Premium Tables for the products along with rebates, if any, offered.

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant Company are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place _____

Date: _____

Signature of the Authorised Person (with Seal)"

10. For Form IRDA/ R3, the following provisions are substituted

"FORM IRDAI/R3

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Seal of the Authority)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number. _____

This is to certify that (Name of Insurer and address)

has this day _____ been registered in accordance with the provisions of sub-section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact the _____ class of business.

Given under the seal of the Authority at Hyderabad this _____ day of _____ two thousand and _____.

Signature

(Competent Authority)

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA "

11. For Form IRDA/ R4, the following provisions are substituted

" FORM IRDAI/R4

ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE OF REGISTRATION

An insurer shall apply in the following format with the documents specified herein:

To

Insurance Regulatory and Development Authority of India
Hyderabad

Application for issue of duplicate certificate of registration.

We request you to issue a duplicate certificate of registration for which we give below the following details:

1. Name of Insurer:
2. Registration Number:
3. Date of Certificate of Registration:
4. How original certificate has been lost, destroyed or mutilated?
5. Particulars of remittance of fee.

Place _____

Date: _____

Yours truly,

Signature of the Managing Director
(Name of the Managing Director)
(Seal)

Notes: 1. Enclose the original copy of the resolution of the board seeking issue of duplicate certificate, in lieu of the original Certificate of Registration issued.

2. Enclose a DD for Rupees five thousand drawn in favour of Insurance Regulatory and Development Authority of India payable at the place of head office of the Authority. In case the payment is made through electronic mode, enclose the evidence / receipt for electronic transfer of funds to the account of the Authority."

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III /4/Exty/409]